क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर

फ.क्रं. 5–11/2020–21/सम.छा.बै./4697–4715 दिनांकः– 27 JAN 2021

कोविड–19 महामारी की स्थिति में संस्थान के अंतिम वर्षीय छात्र–छात्राओं (BA.BEd. IV, BSc.BEd. IV, BEd. II, M.Ed. II) द्वारा गृह निवास से लौटने पर उनसे सम्बंधित निम्नलिखित बिन्दुओं की पालना करना अनिवार्य होगाः–

1. सरकार से प्राप्त निर्देश अनुसार दिनांक 29.01.2021 से संस्थान अंतिम वर्षीय छात्र–छात्राओं के नियमित पाठयक्रम के लिए खोला जाएगा।
2. सभी विद्यार्थी संस्थान में लौटने से पूर्व स्वयं के स्तर पर स्क्रीनिंग करवाएंगे, जिसका प्रमाण पत्र 24 घंटे पूर्व तक का संस्थान में प्रस्तुत करना होगा एवं संस्थान में लौटने के पश्चात् भी थर्मल स्क्रीनिंग आवश्यक रूप से करवानी होगी।
3. प्रत्येक विद्यार्थियों को घर से लौटने पर संस्थान के पुष्कर द्वार से ही प्रवेश की अनुमति होगी एवं प्रवेश करने के वक्त थर्मल स्क्रीनिंग होगी एवं सैनिटाइज किया जायेगा।
4. संस्थान के दोनों मुख्य द्वार(वैशाली एवं पुष्कर द्वार) एवं संस्थान भवन के दोनों द्वारों पर सैनिटाईजर उपलब्ध रहेगा। विद्यार्थी सरकार के निर्देश अनुसार हाथ सेनेटाईज करें।
5. संस्थान के दोनों मुख्य द्वारों से सुरक्षा पर्यवेक्षक के द्वारा विद्यार्थियों के संस्थान में प्रवेश की सूचना रजिस्टर में दर्ज की जायेगी व प्रतिलिपि चिकित्सा अधिकारी को उपलबध कराई जाएगी।
6. संस्थान एवं छात्रावास में कोविड–19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए 24x7 वाहन(चालक सहित) उपलब्ध रहेगा।
7. यदि विद्यार्थियों को क्वारंटाईन करना पड़े तो भारत सरकार के निर्देशानुसार क्वारंटाईन किया जायेगा।
8. कोरोना महामारी के चलते अतिआवश्यक/आपातकालीन स्थिति एवं इंटर्नशिप हेतु विद्यार्थियों को संस्थान से बाहर जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। कार्यालय समय के दौरान विभागाध्यक्ष द्वारा व कार्यालय समय पश्चात् वार्डन व चीफ वार्डन द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी।
9. सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को छात्रावास में स्वयं के साथ सेनिटाईजर, मास्क, साबुन इत्यादि हर वक्त रखना होगा। यह व्यवस्था उनको स्वयं करनी होगी।
10. सभी विद्यार्थी स्वयं के मोबाईल में Aarogya setu app अनिवार्य रूप से डाउनलोड करके आयेंगे व इसे सदैव चालू रखेंगे।
11. सभी विद्यार्थी सरकार की एडवाईजरी के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे।
12. मास्क के निस्तारण हेतु संस्थान में प्रशासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान तय कर उसे प्रतिदिन जलाया जायेगा।
13. मैस संचालक एवं मैस कर्मचारी संस्थान में फिटनेस प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे। साथ ही संस्थान में प्रवेश के दौरान समस्त कर्मीयों की थर्मल स्कीनिंग होनी आवश्यक है एवं सभी को छात्रावास में ही पीछे बने कक्षों में सरकार के निर्देशों की अनुपालना कर रहना अनिवार्य होगा।
14. मैस सम्बंधी सामग्री क्रय कर लाने वाले लोगों की संस्थान में प्रवेश करने पर अनिवार्य रूप से स्कीनिंग होगी एवं सेनिटाईज किया जायेगा । इसके लिये न्यूनतम शुल्क देय होगा।
15. सभी विद्यार्थियों को रोजमर्रा का सामान अपने पास रखना होगा।
16. मैस हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना मैस सचिवों की निगरानी में की जायेगी।
17. विद्यार्थी कोविड–19 के लक्षण मिलने की स्थिति में संस्थान के चिकित्सालय में/सरकार द्वारा जारी कोविड–19 टोल फ्री नं. 1075 पर सूचित करेंगे।
18. कोविड–19 महामारी नियंत्रण में आने तक बाजार से ऑनलाईन खाना/अन्य वस्तुएं मंगाने पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी।
19. विद्यार्थी संस्थान में प्रत्येक स्थान पर मास्क लगाकर रखेंगे एवं संस्थान द्वारा जारी किए गए आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

यह सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया जाता है।

27/1/21

प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपिः

1. अधिष्ठाता, क्षे.शि.सं., अजमेर
2. समस्त विभागाध्यक्ष, क्षे.शि.सं., अजमेर
3. मुख्य अधीक्षक छात्रावास, क्षे.शि.सं., अजमेर
4. पुस्तकाल्याध्यक्ष, क्षे.शि.सं., अजमेर
5. प्रधानाध्यापक, क्षे.शि.सं., अजमेर
6. चिकित्साधिकारी, क्षे.शि.सं., अजमेर
7. स.क.स. प्राचार्य, क्षे.शि.सं., अजमेर
8. लेखाधिकारी, क्षे.शि.सं., अजमेर
9. अनुभाग अधिकारी, क्षे.शि.सं., अजमेर
10. सुरक्षा पर्यवेक्षक, क्षे.शि.सं. अजमेर
11. समस्त छात्रावास लिपिक, क्षे.शि.सं., अजमेर
12. समस्त सूचना पट्ट, क्षे.शि.सं., अजमेर
13. प्रभारी, आई.सी.टी को संस्थान वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।

27/1/21

प्रशासनिक अधिकारी